बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उसकी रोकथाम, नियंत्रण एवं आमजनों के बीच इसके प्रसार को रोकने एवं राज्य/जिला के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की तत्काल जांच कर उन्हें **Quarantine Camp** में रखा जा रहा हैं। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रभव को देखते हुए रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में क्षेत्र को विभाजित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों से व्यक्ति अरवल जिला आ रहे हैं तथा उन्हें प्रखंड स्तर पर स्थापित कोरेन्टाईन कैम्प में रखा जा रहा है जो कोविड संक्रमण के मद्देनजर उचित प्रतीत नहीं होता है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक है कि रेड, ऑरेंज, एवं ग्रीन क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को आवासन हेतु अलग–अलग व्यवस्था की जाय। इस निमित निर्णय लिया जाता है कि प्रखंड स्तर पर ग्रीन, रेड एवं ऑरेंज कोरेन्टाईन कैम्प की स्थापना की जाए। उक्त के आलोक में निम्न प्रकार **Quarantine Camp** की स्थापना की जाती हैं :–

कोविड–19 को वैश्विक महामारी के साथ–साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तद्नुसार **The Epidemic Disease Act 1897** एवं **National Disaster Management Act-2005** के तहत इससे निपटने की समुचित कार्रवाई की जा रही है। कोविड–19 से निपटने एवं इसकी रोकथाम एवं आमजनों के बचाव एवं राहत कार्य हेतु आवश्यक भवनों/परिसरों के अधिग्रहण की शक्ति उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त की गयी है। अतः **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की धारा **65(3)(c)** के तहत राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को **Quarantine** करने के निमित **Quarantine Camp** के रूप में स्थापित करने हेतु निम्नांकित भवनों को **परिसर सहित अधिग्रहित किया जाता है।**

क्र0	प्रखण्ड का नाम	भवन का नाम	अभ्युक्ति
1	अरवल	बालिका उच्च विद्यालय, अरवल का छात्रावास। गोदानी सिंह महाविद्यालय, अरवल।	प्रखंड स्तरीय **Red Quarantine Centre**
2	कलेर	मध्य विद्यालय, बंधु विगहा मध्य विद्यालय निरंजनपुर	
3	करपी	इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय, किंजर उच्च विद्यालय, अईयारा।	
4	कुर्था	उच्च विद्यालय, जमालपुर लारी +2 उच्च विद्यालय, कैथा लोदीपुर	
5	सोनभद्र–वंशी–सूर्यपुर	मध्य विद्यालय, वंशी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, वंशी	
6	अरवल	पायस मिशन स्कूल, अरवल।	प्रखंड स्तरीय **Orange Quarantine Centre**
7	कलेर	मध्य विद्यालय, जमुहारी उच्च विद्यालय, जमुहारी	
8	करपी	उच्च विद्यालय, पुराण	
9	कुर्था	मध्य विद्यालय, बेनीपुर	
10	सोनभद्र–वंशी–सूर्यपुर	उच्च विद्यालय, पोंदिल	

11	अरवल	उच्च विद्यालय, ईटवॉ	प्रखंड स्तरीय Green Quarantine Centre
12	कलेर	मध्य विद्यालय, चंदा उच्च विद्यालय, चंदा	
13	करपी	मध्य विद्यालय, आनंदपुर चौहर	
14	कुर्था	मध्य विद्यालय, मानिकपुर	
15	सोनभद्र–वंशी–सूर्यपुर	मध्य विद्यालय, शादीपुर	

1. Quarantine Camp का संचालन संबंधी निदेश :–

1. **नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग** बाहर से आने वाले सभी आंगुतंकों/अप्रवासी को निबंधन के समय ही उनके आने के स्थान के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज एवं रेड जोन में विभाजित करेंगें तथा स्पष्ट करेंगें कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के कोरेन्टाईन कैम्प में आवासित होगें। तदनुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उसे
2. **नोडल पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी** उक्त केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।
3. **Quarantine Camp** के नोडल पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष होंगें।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी अपने स्तर से **Quarantine Camp** हेतु एक **कैम्प प्रभारी पदाधिकारी (पर्यवेक्षी पदाधिकारी अथवा समकक्ष)** एवं इनके सहयोग हेतु पर्याप्त संख्या में **तृतीय वर्ग की कर्मियों** की प्रतिनियुक्ति करेंगें।
5. **Quarantine Camp** के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप एक **नियंत्रण कक्ष स्थापित** किया जायेगा। यदि कक्ष हो तो उसका एवं नहीं रहने के स्थिति में एक पंडाल का निर्माण करा कर नियंत्रण कक्ष संचालित कराया जायेगा। इस नियंत्रण कक्ष में कैम्प **प्रभारी एवं अन्य कर्मी बैठ** कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगें।
6. **Quarantine Camp में** बाहर से आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों का **नियंत्रण कक्ष** में पंजीकरण कराया जायेगा एवं पंजीकरण के दौरान ही सभी लोगों को **मास्क, बाल्टी एवं मग** उपलब्ध करायी जायेगी एवं कमरा का आवंटन किया जायेगा। उसके उपरांत उन्हें उनके आवासन हेतु कमरा में ले जाया जायेगा।
7. **Quarantine Camp** पर नोडल पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में हैंड सेनेटाईजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था करायेंगें।
8. नोडल पदाधिकारी अपने प्रखंड स्थित **Quarantine Camp** में बिजली, पानी, आवासन एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायेंगें।
9. **Quarantine Camp** की **सी0सी0टी0भी0** कैमरा से निगरानी रखी जायेगी।
10. **Quarantine Camp** का बैरेकेटिंग एवं उच्च गुणवतायुक्त एक ध्वनि विस्तारक यंत्र भी रखा जायेगा। जिसके माध्यम से समय–समय पर लोगों को आवश्यक सावधानियॉ एवं नियमों की जानकारी दी जायेगी। नोडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे।
11. **कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल** सभी **Quarantine Camp** पर पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।
12. प्रत्येक 05 व्यक्ति पर एक शौचालय की व्यवस्था की जानी है अतएव **प्रखंड विकास पदाधिकारी** आवासित व्यक्तियों का आकलन कर प्रति 05 व्यक्ति की दर से **कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण** प्रमंडल, अरवल से अस्थायी शौचालय बनाने हेतु कार्रवाई करेंगें।
13. **कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति, अरवल** अपने स्तर से इस **Quarantine Camp** पर विद्युत संबंध देते हुए विद्युत आपूर्ति करायेंगें।
14. नोडल पदाधिकारी विद्युत आपूर्ति की आकस्मिक व्यवस्था हेतु सभी कोरेन्टाईन सेन्टर पर एक जेनरेटर की भी व्यवस्था रखेंगें।
15. **प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र0** अपने स्तर से सभी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायेंगें।
16. प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन/जिला नजारत उप समाहर्ता, अरवल आपदा प्रबंधन विभाग के **निदेश के** आलोक में प्रखंड **Quarantine Camp** में आवासित करने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य. लोगों को भोजन, वस्त्र, बर्तन, मच्छरदानी, दरी, **toiletries** एवं दूध आदि सभी सामग्रियॉ उपलबध करायेंगें।
17. **Quarantine Camp** में भोजन तैयार करने एवं परोसने में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा। भोजन बनाने, परोसने एवं बर्तन धोने आदि सभी जगहों पर आवश्यकतानुसार हैंड सेनेटाईजर एवं हैंड वॉश **(Liquid/Soap)**की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

18. भोजन बनाने की व्यवस्था कोरेन्टाईन कैम्प में ही करेंगें ।
19. **Quarantine Camp** पर सोशल डिस्टेंसिंग का **दृढ़ता से** अनुपालन किया जायेगा।
20. **Quarantine Camp** में तले हुए भोजन की आपूर्ति बिल्कुल नहीं की जायेगी। यह पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
21. **Quarantine Camp** में आवश्यकतानुसार खाने–खिलाने के लिए पालीवार समय को **Stagger** किया जाय तथा बैठने हेतु **Social Distancing Norms** का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन कराया जाय।
22. **Quarantine Camp** में संलग्न सभी पदाधिकारी/कर्मचारी गण अनिवार्य रूप से मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करेंगें।
23. बाहर से आने वाले सभी मजदूर/व्यक्ति **21 दिन** तक **Quarantine Camp** में रहेंगें। इसके पूर्व किसी भी स्थिति में उन्हें अपने घर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. Quarantine Camp का निगरानी एवं अनुश्रवण :–

1. **पुलिस अधीक्षक, अरवल** उपरोक्त **Quarantine Camp** पर पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति करेंगें ।
2. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल** अपने स्तर से उपरोक्त **Quarantine Camp** पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगें।
3. सभी **प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष Quarantine Camp** के नोडल पदाधिकारी है, जो इसकी व्यवस्था एवं निगरानी के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार होंगें।
4. नोडल पदाधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगें कि **Quarantine** में रह रहे लोग किसी भी स्थिति में **Quarantine** अवधि के पहले बाहर नहीं जायेंगें।
5. **प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र** अपने प्रखंड के **Quarantine Camp** के लिए नोडल पदाधिकारी नामित हैं। जिनका दायित्व है कि **Quarantine Camp** में रह रहे लोगों को सभी समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगें। **सिविल सर्जन, अरवल** अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करते रहेंगें।
6. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** स्वयं **Quarantine Camp** का नियमित रूप से **Quarantine Camp** का भ्रमण करेंगें एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक निदेश देंगें। भ्रमण के उपरांत एक संयुक्त प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगें।
7. **श्री बृजकिशोर पाण्डेय, भूमि सुधार उप समाहर्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, शाखा** अरवल इसके संपूर्ण प्रभार में तथा **श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्ता, अरवल** इसके **वरीय प्रभार** में रहेंगे। जिनका दायित्व होगा कि इस संबंध में समस्त कार्यां का अनुश्रवण करेंगे। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी से प्रतिदिन विहित प्रपत्र मे प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे समेकित करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को प्रतिदिन संध्या में भेजना सुनिश्चित करेंगे, **चाहे वह प्रतिवेदन शून्य ही क्यों न हो।**
8. प्रभारी पदाधिकारी आपदा शाखा कैम्प के प्रभारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष,, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का मोबाईल सख्या संधारित कर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. COVID-19 संक्रमण की पहचान हेतु जॉच :–

यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रखण्ड **Quarantine Camp** में लाये गये प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों की चिकित्सीय जॉच कर ली जाय। यदि किसी व्यक्ति में **COVID-19** संक्रमण का लक्षण पाया जाता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित प्रखण्ड स्तरीय **Health Quarantine Camp** में भेजा जायेगा। जहॉ सिविल सर्जन, अरवल स्वास्थ्य विभाग के दिशा–निर्देश के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

प्रखंड Quarantine Camp से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम   दिनांक

क्र0	प्रखंड का नाम	Quarantine Camp का नाम	कैम्प प्रभारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं0	Quarantine Camp हेतु आवासित लोगों की संख्या	आवासित लोगों की राज्यवार संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 648/211   दिनांक 12/05/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, अरवल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल जिला/अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अरवल एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति संबंधित प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक को प्राप्त कराना सुनिश्चित करायेंगे।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।